

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक

“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 478 |

रायपुर, बुधवार, दिनांक 3 सितम्बर 2014— भाद्र 12, शक 1936

तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 3 सितम्बर 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-77/2013/तक. शि./42. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ तकनीकी शिक्षा (शिक्षण संवर्ग-इंजीनियरिंग महाविद्यालय) (राजपत्रित) सेवा में भर्ती तथा सेवा की शर्तों के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.**— (1) ये नियम छत्तीसगढ़ तकनीकी शिक्षा (शिक्षण संवर्ग-इंजीनियरिंग महाविद्यालय) (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2014 कहलाएंगे.
(2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.
2. **परिभाषाएं.**— इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—
 - (क) “एआईसीटीई” से अभिप्रेत है ऑल इण्डिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन एक्ट, 1987 (1987 का 52) की धारा 3 के अधीन स्थापित ऑल इण्डिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन;
 - (ख) सेवा के संबंध में “नियुक्ति प्राधिकारी” से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शासन;
 - (ग) “आयोग” से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग;
 - (घ) “समिति” से अभिप्रेत है अनुसूची-चार में यथा विनिर्दिष्ट विभागीय चयन/पदोन्नति के लिये तात्पर्यित चयन समिति;
 - (ङ) “परीक्षा” से अभिप्रेत है इन नियमों के नियम 11 के अधीन आयोजित प्रतियोगी परीक्षा;
 - (च) “शासन” से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शासन;
 - (छ) “राज्यपाल” से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ के राज्यपाल;
 - (ज) “अन्य पिछड़े वर्ग” से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित, अधिसूचना क्र. एफ-8-5/पच्चीस/4/84, दिनांक 26 दिसम्बर, 1984 द्वारा यथा विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग;

